



2025:CGHC:11908

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुररिट याचिका सेवा क्रमांक 863/2025

- 1- धर्मेन्द्र बंजारे पिता कोमल सिंह बंजारे, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी- नरियरा थाना मुलमुला जिला -जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में आरक्षक के पद पर पदस्थ ।
- 2- दुर्गेश खुटे पिता श्री तुलसी राम खुटे, आयु लगभग 34 वर्ष , निवासी- सजापाली अकलतरा, थाना मुलमुला जिला -जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में आरक्षक के पद पर पदस्थ।

... याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव गृह एवं पुलिस छत्तीसगढ़ विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़ जिला - रायपुर (छ.ग.)
- 2- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
- 4- पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

... उत्तरवादीगण

(वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्तागण की ओर से	: श्रीमती रेणु कोचर, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से	: श्री सुयशधर बड़गैया, उप-शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसादबोर्ड पर आदेश

10/03/2025

1. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर तथा राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री सुयशधर बड़गैया को सुना गया।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार अनुतोषों की प्रार्थना की है:

“10.1 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी के कार्यालय से याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में संपूर्ण अभिलेख मंगाने की कृपा करें।



10.2 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी क्रमांक 03 को ब्याज राशि का संदाय करने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.3 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी क्रमांक 02 को उत्तरवादी क्रमांक 03 से अधिनिर्णय दिनांक 06.10.2021 के अनुसार अधिनिर्णीत राशि वसूलने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.4 यह कि, कोई अन्य रिट, आदेश निदेश या अनुतोष जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित करें।”

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता पुलिस थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा, (छ.ग.) में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 28.02.2022 के मेमो द्वारा, याचिकाकर्तागण पर असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने, वरिष्ठ अधिकारियों से नशे की हालत में बहस करने, कर्मचारियों पर राइफल तानने का आरोप लगाया गया था, जो कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही दर्शाता है और इसलिए उन्हें उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दिनांक 28.02.2022 के आदेश क्रमांक 1/22/105/2022(अनुलग्नक P/2)के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्तागण को उनके विरुद्ध आरोपों की धाराओं सहित आरोप पत्र नहीं दिया गया, जिससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्तागण ने प्रारंभिक जाँच के दस्तावेजों, शिकायत की प्रति और सीसीटीवी फुटेज के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन दिया है। लोक सूचना अधिकारी ने याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को मांगी गई सूचना के आवेदन का उत्तर दिया और अपेक्षित सूचना शुल्क जमा करने को कहा। प्रारंभिक जाँच उसी दिन अर्थात् 01.03.2022 को प्रारंभ की गई और उसी दिन याचिकाकर्तागण को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, न तो आरोपों का विवरण दिया गया और न ही आरोप पत्र का उत्तर मांगा गया, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता आरोपों के दोषी हैं और दिनांक 02.03.2022 के आदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के प्रावधानों को लागू करते हुए याचिकाकर्तागण को सेवाओं से हटाने की कार्यवाही की। दिनांक 2.03.2022 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्तागण ने दिनांक 29.03.2022 को अपील प्रस्तुत की और अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्तागण द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार नहीं किया और दिनांक 15.07.2022 के आदेश (अनुलग्नक पी/6) द्वारा अपील को खारिज कर दिया। तत्पश्चात, याचिकाकर्तागण ने दिनांक 28.2.2022 और 15.07.2022 के आदेशों के विरुद्ध दया अपील प्रस्तुत की है, जिसके अधीन अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 16.5.2023 के आदेश, (अनुलग्नक पी/7)द्वारा याचिकाकर्तागण के प्रकरण को खारिज कर दिया है। तत्पश्चात, याचिकाकर्तागण ने दिनांक 28.02.2022, 15.07.2022 और 16.05.2023 के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका (अनुलग्नक पी/8)प्रस्तुत की, जिसे भी दिनांक 20.11.2024 के आदेश(अनुलग्नक पी/9) द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें कथन किया गया है कि भूतपूर्व आरक्षक-672 दुर्गेश खुंटे और भूतपूर्व आरक्षक-



992 धर्मेन्द्र बंजारे द्वारा सेवा में बहाली के लिए दया याचिका प्रस्तुत करने पर, पुलिस मुख्यालय के दया याचिका आदेश क्रमांक/पीयूएमयू/2/अपील/ए-12/एम-1386/2023, दिनांक 16.05.2023 द्वारा ,दया याचिका अभ्यावेदन को विचार-विमर्श के उपरांत "खारिज" कर दिया गया है और वर्तमान में, पूर्व आरक्षकों द्वारा सेवा में बहाली के लिए प्रस्तुत आवेदन में अधिरोपित आरोपों के विरुद्ध बचाव में ऐसा कोई तथ्य/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर विचार किया जा सके। अतः, भूतपूर्व आरक्षक-672 दुर्गेश खुंटे और भूतपूर्व आरक्षक-992 धर्मेन्द्र बंजारे द्वारा सेवा में बहाली के लिए प्रस्तुत आवेदन "अमान्य" है, इसलिए यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने, नशे की हालत में वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने, कर्मचारियों पर राइफल तानने का तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत किसी भी निर्णायक साक्ष्य/सामग्री के आधार पर साबित/स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि, यह तथ्य उत्तरवादी विभाग द्वारा केवल साक्षियों के स्व-सेवा स्वीकारोक्ति के आधार पर साबित पाया गया है। अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया एवं याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

7. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्तागण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के परंतुक की उपधारा (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, नियम 992 धर्मेन्द्र बंजारे और नियम 672 दुर्गेश खुंटे को सेवा से पदच्युत कर दिया गया, जो विधि की दृष्टि में अनुचित है क्योंकि उन पर 1965 के नियम 3(1) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान हैं:

"3. सामान्य – (1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही:-

- (i) पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहे
- (ii) कर्तव्यपरायण रहे और
- (iii) ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो कि उसके लिए अशोभनीय हो।



8. 1965 के नियमों के नियम 3(1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहेगा कर्तव्यपरायण रहेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि उसके लिए अशोभनीय हो।

9. 1965 के नियमों के नियम 3(1) का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने पर ज्ञात होता है कि शासकीय सेवक को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, कदाचार में संलिप्त अवांछनीय व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध रखने से प्रतिबंधित किया गया है, और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखना होगा, परंतु सुनवाई का अवसर दिए बिना, आदेश पारित करना विधि की दृष्टि में अन्याय है। अतः 1965 के नियमों के नियम 3(1) के अधीन याचिकाकर्तागण को कदाचार करने का सिद्धदोष ठहराने के लिए, केवल कुछ अधिकारियों की ओर से कथित स्वीकारोक्ति के आधार पर, याचिकाकर्तागण को कदाचार का दोषी ठहराया गया है, जो कि 1965 के नियमों के विरुद्ध है। अतः उत्तरवादी यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि कदाचार के दौरान, याचिकाकर्तागण ने कदाचार किया है और इसी प्रकार, रायफल तानने का आरोप किसी शपथपत्र द्वारा समर्थित नहीं है और स्पष्ट रूप से अभिलेख पर स्थापित है। याचिकाकर्तागण के विरुद्ध विरचित आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान का आश्रय लेकर बिना किसी जांच के सेवा से हटाने का आदेश भी दिया गया।

10. विभागीय जाँच से बचने के लिए, पुलिस अधीक्षक को यह बताना होगा कि नियमित विभागीय जाँच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य क्यों नहीं था। यह राय बनाने के लिए कि विभागीय जाँच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं था, ये कारण लेखबद्ध किए जाने चाहिए, जिससे अपचारी सेवकों के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित किया जा सके।

11. इससे पूर्व, रिट याचिका सेवा क्रमांक 2556/2011 रिट याचिका में, इस न्यायालय ने दिनांक 12.04.2012 को आदेश पारित किया था। संबंधित पैरा क्रमांक 11 से 17 निम्नानुसार हैं:

11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को उद्धृत करना उपयोगी होगा, जो निम्नानुसार हैं:

“311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत या नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना— (1) किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी



नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं:

परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:

परंतु यह और कि यह खण्ड वहाँ लागू नहीं होगा –



(क) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर 'पदच्युत किया जाता है' या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप उसे सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत के या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी दर लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए; या

(ग) जहां, यथस्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जाँच की जाए।

(3) यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खण्ड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो उस व्यक्ति को पदच्युत करे या पद से हटने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।"



12. अनुच्छेद 311(2) के प्रावधानों के अनुसार, किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब पदच्युति, पद से हटाना या पदावनति ऐसे आचरण के आधार पर की गई हो जिसके कारण उसे किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो और अनुच्छेद 311 (2) (ख) के अधीन, जहाँ सशक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा या खण्ड (ग) के अधीन, जहां, यथस्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जाँच की जाए।

13. वर्तमान प्रकरण में, जैसा उत्तरवादीगण के अधिवक्ता द्वारा किया गया अभिवाक, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) के अंतर्गत आता है। उसे पदच्युत करने, हटाने या अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी के समाधान से पूर्व, कारण लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, कारण लेखबद्ध किए बिना केवल समाधान के आधार पर, प्राधिकारी संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) का संदर्भ देकर जाँच से छूट नहीं पा सकता, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के मुख्य प्रावधान के अधीन आवश्यक है। लेखबद्ध कारण भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं, क्योंकि ऐसा निर्णय लेने के लिए वे मजबूत, ठोस और सुसंगत होने चाहिए।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने मोहिंदर सिंह गिल व अन्य विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली व अन्य के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:

"8. समान रूप से द्वितीय सुसंगत प्रकरण यह है कि जब कोई वैधानिक पदाधिकारी किसी निश्चित आधार पर कोई आदेश जारी करता है, तो उसकी वैधता का आकलन उन कारणों से किया जाना चाहिए और उसे शपथपत्र या किसी अन्य रूप में नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता।

अन्यथा, प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण आदेश किसी चुनौती के कारण न्यायालय में आने तक, बाद में सामने आए अतिरिक्त आधारों से मान्य हो सकता है..."

15. माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने भारत संघ व एक अन्य विरुद्ध तुलसीराम पटेल के प्रकरण में, निम्नानुसार अवधारित किया:

"130... किसी अनुशासनिक प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह किसी अनुशासनिक जांच को सहज या मनमानी रीति से या गुप्त



हेतुकों से या केवल जांच से बचने हेतु या शासकीय सेवक के विरुद्ध विभाग का प्रकरण दुर्बल या असफल होने के कारण छोड़ दे....

133. दूसरे परंतुक के खण्ड (ख) के वैध अनुप्रयोग के लिए आवश्यक दूसरी शर्त यह है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में अपना कारण लेखबद्ध करना होगा कि उसकी समाधान के लिए कि अनुच्छेद 311(2) द्वारा परिकल्पित जाँच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं था। यह एक संवैधानिक बाध्यता है और यदि ऐसा कारण लेखबद्ध नहीं किया जाता है, तो जाँच से छूट देने वाला आदेश और उसके बाद शास्ति का आदेश दोनों ही शून्य और असंवैधानिक होंगे।

134. यह स्पष्ट है कि जाँच से छूट देने के कारण को लिखित रूप में लेखबद्ध करना, शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से पूर्व होना चाहिए। इसलिए, जाँच से छूट देने के कारण को अंतिम आदेश में शामिल करना आवश्यक नहीं है। कारण को अलग से लेखबद्ध करना और फिर अधिरोपित शास्ति के प्रश्न पर विचार करना और अधिरोपित शास्ति का आदेश पारित करना सामान्य होगा। यद्यपि, यह बेहतर होगा कि कारण को अंतिम आदेश में लेखबद्ध किया जाए ताकि यह आरोप न लगे कि कारण को अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व लिखित रूप में लेखबद्ध नहीं किया गया था, बल्कि बाद में गढ़ा गया था। जाँच से छूट देने के कारण में विस्तृत विवरण शामिल होना आवश्यक नहीं है, परंतु कारण अस्पष्ट या दूसरे परंतुक के खण्ड (ख) की भाषा का दोहराव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केवल यह कहना कि वह इस बात का समाधान है कि कोई भी जाँच करना साध्य रूप से संभव नहीं है, खण्ड (ख) की आवश्यकता का अनुपालन नहीं होगा।...

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जसवंत सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य व अन्य के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:

"5.....विभागीय जाँच से छूट देने का निर्णय, इसलिए, केवल संबंधित प्राधिकारी के स्व-निर्देश पर आधारित नहीं हो सकता। जब संबंधित प्राधिकारी के समाधान पर न्यायालय में प्रश्न उठाया जाता है, तो आदेश का



समर्थन करने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे यह साबित करें कि समाधान कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है और संबंधित अधिकारी की सनक या मनमानी का परिणाम नहीं है। उत्तरवादी 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद में यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बजाय, अपने साथी पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठों की अवज्ञा करने के लिए उकसाया। यह भी तर्क किया गया है कि उसने साक्षियों और जाँच अधिकारी को पीटने की धमकी दी थी यदि उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच की गई। कोई विवरण नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह समझना कठिन है कि जब वह अस्पताल में था तो उसने धमकी आदि कैसे दी। यह नहीं दर्शाया गया है कि किस आधार पर उत्तरवादी 3 इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी ने आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 3 में आरोपित धमकियाँ दी थीं। आक्षेपित आदेश की गहन परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि समाधान इस आधार पर थी कि वह अपने वरिष्ठों के प्रति घृणा और असंतोष फैलाने के प्रयोजन से अपने सहयोगियों को उकसा रहा था और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहा था। यह आरोप 3 अप्रैल, 1981 को जालंधर में उसकी कथित गतिविधियों पर आधारित है, जिसकी रिपोर्ट जालंधर के थाना प्रभारी/जीआरपी ने दी है। वह रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है। किसी का भी यह तर्क नहीं है कि उक्त थाना प्रभारी को धमकी दी गई थी। उत्तरवादी 3 के प्रतिवाद से यह भी ज्ञात नहीं होता कि क्या उसने सूचना की सत्यता की पुष्टि की थी। संक्षेप में कहें तो, आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 3 में लेखबद्ध व्यक्तिपरक समाधान किसी भी स्वतंत्र तथ्य से पुष्ट नहीं होती है जो अनुच्छेद 311(2) द्वारा संविधान के अंतर्गत परिकल्पित जाँच को समाप्त करने का औचित्य साबित करे। अतः हमारा अभिमत यह है कि केवल इस संक्षिप्त आधार पर आक्षेपित आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता।"

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने तरसेम सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य व अन्य के प्रकरण में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) की आवश्यकता पर विचार करते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया:

"11. हमने पूर्व भी देखा है कि औपचारिक जाँच केवल इस आधार पर छोड़ी गई थी कि अपीलार्थी पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों को धमकी और अन्य तरीकों से साक्ष्य देने से रोक सकता था। उक्त आदेश में या हमारे समक्ष ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत या



प्रकट नहीं की गई है जिससे यह ज्ञात हो कि वैधानिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक समाधान वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित थी। विभागीय कार्यवाही को छोड़ने का कथित कारण किसी भी दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है।"

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भूतपूर्व आरक्षक छोटे लाल विरुद्ध भारत संघ व अन्य (2000) 10 एससीसी 196** में प्रकाशित प्रकरण में इसी पहलू पर विचार किया है, जिसका पैरा 4 निम्नानुसार है:

4. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों का परीक्षण करने के उपरांत और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विचार में रखते हुए जो उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिनके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 311(2), दूसरे परंतुक, खण्ड (ख) के अधीन जाँच से छूट दी जा सकती है और उसे उन तथ्यों, परिस्थितियों और कारणों पर लागू करते हुए जो निर्णय लेने में अधिकारियों द्वारा दिए गए थे, हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई संकोच नहीं है कि विभागीय जाँच से छूट देने वाला आदेश विधि के अनुसार नहीं है और अनिवार्य रूप से पदच्युति आदेश यथावत नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, हम अपीलार्थी के विरुद्ध पारित पदच्युति आदेश को अपास्त करते हैं और विभागीय प्राधिकारी को विधि के अनुसार, यदि वांछित हो, तो जाँच करने की अनुमति देते हैं और उक्त कार्यवाही में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।

13. **रीना रानी विरुद्ध हरियाणा राज्य व अन्य (2012) 10 एससीसी 215** के प्रकाशित एक अन्य प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

7. पदच्युति आदेश में, पुलिस अधीक्षक ने कोई कारण नहीं बताया है कि नियमित विभागीय जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य क्यों नहीं था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से व्यक्त किया कि पदच्युति आदेश में यह कारण नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य क्यों नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें कोई अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह ज्ञात होता कि पुलिस अधीक्षक ने यह राय बनाने के लिए कारण लेखबद्ध किए थे कि अपीलार्थी के विरुद्ध विशेष आरोप(ओं) को साबित करने के लिए नियमित विभागीय जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं था।



8. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ ने अपीलार्थी की बिना जाँच के सेवा से पदच्युति को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करके गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस विवादक का परीक्षण उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं किया और सामान्य टिप्पणियाँ कीं कि प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है और यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई अनम्य सूत्र नहीं अपनाया जा सकता कि सेवा से पदच्युति का दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने हेतु नियमित जाँच करना उचित और साध्य है या नहीं। ऐसी सामान्य टिप्पणियाँ बिना जाँच के सेवा से पदच्युति को मंजूरी देने का आधार नहीं बन सकती थीं।

9. भारत संघ विरुद्ध तुलसीराम पटेल प्रकरण में संविधान पीठ ने अनुच्छेद 311 के दूसरे परंतुक के खण्ड (क), (ख) और (ग) के परिधि पर विचार किया। खण्ड (ख) पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति मैडन, जिन्होंने संविधान पीठ के बहुमत की ओर से व्यक्त करते हुए अवधारित किया:

"130. खण्ड (ख) के लागू होने की पूर्व शर्त अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान है कि अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) द्वारा परिकल्पित जाँच "युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है"। सुसंगत तथ्य यह है कि प्रयुक्त शब्द "युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं" हैं, न कि "असाध्य"। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार "साध्य" का अर्थ है "व्यवहार में लाने योग्य, कार्यान्वित कार्य में, प्रभावी, संपन्न, या किया जा सकने योग्य; सम्भाव्य"। वेबस्टर का तृतीय नवीन अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश "साध्य" शब्द को अन्य बातों के साथ-साथ "अभ्यास या प्रदर्शन करने के लिए संभव: व्यवहार में लाने, करने या पूर्ण करने में सक्षम: सम्भाव्य" के रूप में परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रयुक्त शब्द "साध्य नहीं" नहीं, बल्कि "युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं" हैं। वेबस्टर के तृतीय नवीन अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में "युक्तियुक्त तौर पर" "उचित तरीके से: काफी हद तक" परिभाषित करती है। इस प्रकार, जाँच करना साध्य था या नहीं, इसका निर्णय इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य था। यह पूर्ण रूप से या सम्पूर्णतः असाध्यता नहीं है जो खंड (ख) द्वारा अपेक्षित है। यह अपेक्षित है कि वर्तमान स्थिति को विचार में रखते हुए किसी भी विवेकी





व्यक्ति की राय में जाँच करना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे प्रकरणों की गणना करना संभव नहीं है जिनमें जाँच करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं होगा, हालांकि, उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। जाँच करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं होगा जहाँ शासकीय सेवक, विशेषतः अपने सहयोगियों द्वारा या उनके साथ मिलकर, उन साक्षियों को, जो उसके विरुद्ध साक्ष्य देने जा रहे हैं, इस प्रकार आतंकित, धमकाता या डराता है कि प्रतिशोध के भय से वे ऐसा करने से बच जाएँ या जहाँ शासकीय सेवक स्वयं या अन्य लोगों के साथ मिलकर या उनके माध्यम से अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी या अपने परिवार के सदस्यों को धमकाता, डराता और आतंकित करता है जिससे वह जाँच करने या उसे करने का निर्देश देने से डरता है। ऐसी स्थिति में जाँच करना भी युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं होगा जहाँ हिंसा या सामान्य अनुशासनहीनता और अवज्ञा का माहौल हो, और यह मायने नहीं रखता कि संबंधित शासकीय सेवक ऐसा माहौल बनाने में भागीदार है या नहीं। इस संबंध में, हमें यह विचार रखना होगा कि संख्या बल दबाव डालता है और डराता है, जबकि व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जाँच की युक्तियुक्त साध्यता अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले आकलन का विषय है। ऐसा प्राधिकारी आमतौर पर मौके पर मौजूद होता है और जानता है कि क्या हो रहा है। चूँकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ही इसका सर्वोत्तम निर्णायक होता है, इसलिए अनुच्छेद 311 का खंड (3) इस प्रश्न पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को अंतिम बनाता है।

किसी अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह किसी अनुशासनात्मक जाँच को सहज या मनमाने ढंग से या गुप्त प्रयोजनार्थ या केवल जाँच से बचने के लिए या इसलिए कि शासकीय सेवक के विरुद्ध विभाग का प्रकरण कमजोर है और विफल होना ही है, छोड़ दे। अनुच्छेद 311(3) द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को दी गई अंतिमता, जहाँ तक न्यायिक समीक्षा की उसकी शक्ति का संबंध है, न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है और ऐसे प्रकरण में न्यायालय जाँच से छूट देने वाले आदेश को और शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश को भी रद्द कर देगा।

133. दूसरे परंतुक के खण्ड (ख) के वैध अनुप्रयोग के लिए आवश्यक दूसरी शर्त यह है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में अपना





कारण लेखबद्ध करना चाहिए कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अनुच्छेद 311(2) द्वारा परिकल्पित जाँच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं था। यह एक संवैधानिक दायित्व है और यदि ऐसा कारण लिखित रूप में लेखबद्ध नहीं किया जाता है, तो जाँच से छूट देने वाला आदेश और उसके बाद दंड का आदेश दोनों ही शून्य और असंवैधानिक होंगे।

134. यह स्पष्ट है कि जाँच से छूट देने के कारण को लिखित रूप में लेखबद्ध करना, दंड लगाने के आदेश से पूर्व होना चाहिए। इसलिए, जाँच से छूट देने के कारण को अंतिम आदेश में शामिल करना आवश्यक नहीं है। कारण को अलग से लेखबद्ध करना और फिर लगाए जाने वाले दंड के प्रश्न पर विचार करना और दंड लगाने का आदेश पारित करना सामान्य होगा। यद्यपि, यह बेहतर होगा कि कारण को अंतिम आदेश में लेखबद्ध किया जाए ताकि यह आरोप न लगे कि कारण को अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व लिखित रूप में लेखबद्ध नहीं किया गया था, बल्कि बाद में गढ़ा गया था। जाँच से छूट देने के कारण में विस्तृत विवरण शामिल होना आवश्यक नहीं है, परंतु कारण अस्पष्ट या दूसरे परंतुक के खण्ड (ख) की भाषा का दोहराव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केवल यह कहना खण्ड (ख) की आवश्यकता का अनुपालन नहीं होगा कि वह संतुष्ट है कि कोई जाँच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है। कभी-कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जाँच से छूट देने के विस्तृत कारण बताना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं होता। यद्यपि, यह आदेश को अमान्य नहीं करेगा। प्रत्येक प्रकरण का विवेचन उसके अपने गुणों और उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

135. यह पूरजोर तर्क किया गया कि यदि अंतिम आदेश में कारण लेखबद्ध नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें संबंधित शासकीय सेवक को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह विभागीय अपील में या न्यायालय के समक्ष कारणों की वैधता को चुनौती दे सके और कारणों को सूचित न करने पर आदेश अमान्य हो जाएगा। यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। खण्ड (ख) में संवैधानिक अपेक्षा यह है कि जाँच से छूट देने का कारण लिखित रूप में लेखबद्ध किया जाना चाहिए। शासकीय सेवक को कारण बताने की कोई बाध्यता नहीं है। चूँकि अनुच्छेद 311 का खण्ड (3) इस बिंदु पर





अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय को अंतिम बनाता है, इसलिए इस प्रश्न को विभागीय अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में नहीं उठाया जा सकता। लिखित रूप में कारण लेखबद्ध करने का दायित्व खण्ड (ख) में प्रदान किया गया है ताकि अनुशासनिक प्राधिकारी के वरिष्ठ यह निर्णय ले सकें कि क्या उस प्राधिकारी ने पदोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए उस अधिकारी के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से खण्ड (ख) के तहत अपनी शक्ति का उचित प्रयोग किया है या नहीं। यद्यपि, अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह बेहतर होगा कि वह शासकीय सेवक को जाँच से छूट देने का अपना कारण बताए क्योंकि ऐसा संचार इस आरोप की संभावना को समाप्त कर देगा कि कारण बाद में गढ़े गए हैं। यह शासकीय सेवक को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उपयुक्त स्थिति में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में जाने का अधिकार भी प्रदान करेगा। यदि कारण शासकीय सेवक को नहीं बताए जाते हैं और प्रकरण न्यायालय में आता है, तो न्यायालय कारण प्रस्तुत करने और शासकीय सेवक को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है और यदि फिर भी प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि कारण लिखित रूप में लेखबद्ध नहीं किए गए थे और तब आक्षेपित आदेश अमान्य हो जाएगा। यद्यपि, इस अनुमान का खण्डन लिखित कारणों को प्रस्तुत न करने के लिए एक संतोषजनक स्पष्टीकरण द्वारा किया जा सकता है।

(बल दिया गया)

10. **जसवंत सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य** के प्रकरण में, युगलपीठ ने **भारत संघ विरुद्ध तुलसीराम पटेल** के निर्णय का संदर्भ दिया और अभिनिर्धारित किया:

"5.....इसलिए, विभागीय जाँच से छूट देने का निर्णय केवल संबंधित प्राधिकारी की स्वतः स्वीकारोक्ति पर आधारित नहीं हो सकता। जब संबंधित प्राधिकारी की समाधान पर न्यायालय में प्रश्न उठाया जाता है, तो आदेश का समर्थन करने वालों का यह दायित्व है कि वे यह साबित करें कि समाधान कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है और संबंधित अधिकारी की इच्छा या मनमानी का परिणाम नहीं है।"



11. उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियों को इस प्रकरण के तथ्यों के साथ जोड़ते हुए, हम मानते हैं कि अपीलार्थी की सेवा से पदच्युति अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के विरुद्ध थी और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ ने पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित दिनांक 23.4.2010 के आदेश को यथावत रखकर गंभीर त्रुटि की है।

12. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि उसे सेवा में बहाल किया जाए और सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं। यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश सक्षम प्राधिकारी को अपीलार्थी के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। साथ ही, हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता को अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आदेश के रूप में नहीं समझा जाएगा और सक्षम प्राधिकारी संपूर्ण अभिलेख पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के उपरांत उचित निर्णय लेगा।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह ज्ञात नहीं हो पाया कि वह कौन सा कारण था जिसके कारण यह पाया गया कि विभागीय जाँच करना साध्य नहीं था और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत दूसरे परंतुक, खण्ड (ख) के अंतर्गत सेवा से हटाने का आदेश पारित किया गया।

15. तदनुसार, उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित समस्त आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2022, 15.07.2022 और 16.05.2023, और दिनांक 20.11.2024 के आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं। याचिकाकर्तागण को सेवा में बहाल करने का निर्देशित किया जाता है। पिछले वेतन हेतु, दोनों याचिकाकर्तागण आज से चार सप्ताह के भीतर उत्तरवादी/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह जांच करने के उपरांत कि क्या याचिकाकर्ता उपरोक्त अवधि के दौरान उत्तरवादीगण/विभाग में अभिलाभपूर्वक नियुक्त था, इस पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

16. रिट याचिका उपरोक्त दर्शित सीमा तक **स्वीकार** की जाती है। वाद-व्यय हेतु कोई आदेश नहीं।



सही / –
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

